# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0

वाद सं0 14/16
निर्णय दिनांक:–10.02.2018

1. मदनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 गोविन्दपुरा प0ह0 छापरी भू0अ0नि0क्षे0 नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र भैरूसिंह
2. जगदीशसिंह पुत्र गणपतसिंह
3. इन्द्राकंवर बेवा गणपतसिंह नाम हजफ
   समस्त जाति राजपूत नि0 गोविन्दपुरा प0ह0 छापरी तह0 फुलेरा जिला जयपुर
4. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तरमीम व दुस्स्ती इन्द्राज

## निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात खतौनी सं0 51 की आराजी खं0नं0 31/2 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 76 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 83/2 रकबा 8 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 83/226 रकबा 8 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 126/2 रकबा 37 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 239/83 रकबा 1 विस्वा गै0मु0 चाह कुल किता 6 कुल रकबा 66 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 छापरी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–74 मे दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 ने आराजी खं0नं0 83/2 रकबा 9 बीघा में नया चाह निर्माण कराया था जिसकी तरमीम के बाबत् माननीय महोदय के आदेश क्रंमाक विविध/10/346 दिनांक 25.05.10 के द्वारा तहसीलदार तह0 फुलेरा के नाम तरमीम के आदेश प्रदान किये थे जिस पर प्रतिवादी सं0 4 के आदेश क्रंमाक एल0आर0/10/3521 दिनांक 25.05.10 की पालना में आराजी खं0नं0 83/2 रकबा 1 विस्वा चाह की तरमीम की गयी एवं शेष खसरा नम्बरान 76, 83/2, 83/226, 126/2, 31/2 की तरमीम नहीं की गई। संवत् 2063–2066 की जमाबन्दी खतौनी सं0 47 में आराजी खं0नं0 83/2 रकबा 9 बीघा दर्ज था। जिसके आगे के वर्ष संवत् 2071–74 की जमाबन्दी का इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का छापरी ने आराजी खं0नं0 83/2 में नया चाह निर्मित की तरमीम करते समय 83/2 के स्थान पर केवल मात्र 83 रकबा 8 बीघा 19 विस्वा दर्ज कर दी जबकि 83/2 संवत् 2071–74 में पटवारी हल्को को दर्ज करना चाहिये था। अतः वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् तरमीम व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना लाजिम हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 27.06.16 को पत्रावली न्याय आपके द्वार 2016 मे केम्प कोरसीना में पेश हुयी। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने प्रतिवादी सं0 3 का नाम हजफ करने का प्रा0पत्र पेश किया जो स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 3 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि उक्त खाते में यदि खं0नं0 83/2 की दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपति नहीं है। खं0नं0 83/126, 126/2, 31/2 की ग्राम नांगल के नक्शें में पूर्व से तरमीम की हुयी है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में पेश हुयी वकील वादी ने उक्त वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि वाकै ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 छापरी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के आराजी खतौनी सं0 51 की आराजी खं0नं0 83 रकबा 8 बीघा 19 विस्वा के स्थान पर दुरूस्ती की जाकर आराजी खं0नं0 83/2 रकबा 8 बीघा 19 विस्वा दर्ज किये जाने व तरमीम की जाकर नक्शें में लाल रंग से दर्शित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 फुलेरा को आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 10.02.18 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner